भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3915

दिनांक 24 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

3915. श्री रामचरण बोहरा:
श्री निहाल चंद चौहान:
श्री हेमंत तुकाराम गोडसे:
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती संगीता आज़ाद:
श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस योजना के अंतर्गत अब तक नामांकित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(घ) क्या बड़ी-संख्या में आयुष्मान भारत कार्ड अभी तक वितरित नहीं किए गए हैं, यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और

(च) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग, त्वचा रोग और कैंसर आदि जैसे रोग शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक-I में दी गई हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सत्यापित लाभार्थियों / बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। एबी-पीएमजेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो 60 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लगभग 15.5 करोड़ परिवारों तक लाभार्थी आधार का विस्तार किया है। एबी-पीएमजेएवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाभार्थी की मांग के आधार पर संचालित होती है। कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पात्र लाभाथयों को योजना के शुभारंभ के पहले दिन से ही इस योजना के अंतर्गत सेवाओं के लिए हकदार बनाया गया है।

20 मार्च 2023 तक, इस योजना के तहत कुल 23.3 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है और 11,500 निजी अस्पतालों सहित 26,434 सूचीबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से 54,241 करोड़ रुपये के 4.49 करोड़ से अधिक अस्पताल दाखिलों को अधिकृत किया गया है।

स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के केन्द्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां उनके द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद ही जारी की जाती हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक पात्रता-आधारित योजना है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के नामांकन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी नकदीहीन उपचार लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे देश भर में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल (सार्वजनिक या निजी) में जा सकता है। पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड न होने की स्थिति में उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

33 कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 45 करोड़ व्यक्तियों में से, 23.3 करोड़ लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। इसके अलावा, एनएचए ने देश में आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगो सहित कोई भी व्यक्ति जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है कि वे बचे हुए (अप्रमाणित) एसईसीसी परिवारों की तुलना में टैगिंग के लिए गैर-एसईसीसी लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करें। ।

एबी-पीएमजेएवाई कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य बीमारियों जैसी बीमारियों सहित 27 विभिन्न विशिष्टताओं के तहत कुल 1,949 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत त्वचा रोगों से संबंधित 26 प्रक्रियाएं और कैंसर से संबंधित 549 प्रक्रियाएं शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

1. भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा अनुशंसित आयुष्मान भारत के अनुसार शुरू की गई थी। इस पहल को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो "लीव नो वन बिहाइड'' के लिए है।

2. एबी-पीएमजेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है।

3. एबी-पीएमजेएवाई 60 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करता है।

4. एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से नकदीहीन और कागजरहित योजना है।

5. एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभ देश भर में वहनीय हैं।

6. परिवार के आकार, या उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।

7. प्रारंभ में, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनिंदा वंचित और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की गई थी। विवरण नीचे दिए गए हैं:

एसईसीसी 2011 के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्रता के लिए मानदंडों की विस्तृत सूची:
स्वत: रूप से शामिल:

1. बिना आश्रय वाले परिवार
2. निराश्रित/भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले
3. मैला ढोने वाले परिवार
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र में वंचन के मानदंड:

घ1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा हो।
घ 2: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं हो।
घ 3: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य रहित महिला प्रधान परिवार
घ 4: दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हो।
घ 5: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार
घ 7: भूमिहीन परिवार अपनी आय का अधिकांश हिस्सा शारीरिक नैमित्तिक श्रम से प्राप्त करते हैं

शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक मानदंड:

1) कूड़ा बीनने वाला
2) भिखारी
3) घरेलू कामगार
4) स्ट्रीट वेंडर/मोची/फेरीवाला/ सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता

5) निर्माण कार्य करने वाले कामगार/प्लंबर/मेसन/श्रमिक/चित्रकार/वेल्डर/सिक्योरिटी गार्ड/कुली और अन्य बोझ ढोने वाले

6) स्वीपर/सफाई कर्मचारी/ माली

7) घर पर काम करने वाले कामगार/ कारीगर / हस्तशिल्प कार्यकर्ता / दर्जी

8) परिवहन कार्यकर्ता/ड्राइवर/कंडक्टर/हेल्पर से ड्राइवर और कंडक्टर/ठेला चालक/रिक्शा चालक

9) छोटे प्रतिष्ठान में दुकान पर काम करने वाले कामगार/सहायक/चपरासी/हेल्पर/डिलीवरी असिस्टेंट/अटेंडेंट/वेटर

10) इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक/असेंबलर/रिपेयर वर्कर

11) धोबी/चौकीदार

8. एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 15.5 करोड़ परिवारों तक योजना के कवरेज का विस्तार किया है।

9. एबी-पीएमजेएवाई पश्चिम बंगाल, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

10. यह योजना तीन स्तरीय मॉडल के माध्यम से पूरे देश में लागू की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संबंद्ध कार्यालय, देश भर में एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाला शीर्ष निकाय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एबी-पीएमजेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) की स्थापना की गई है। योजना हितधारकों के बीच वास्तविक समन्वय सुनिश्चित करने और सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यान्वयन इकाइयों (डीआईयू) की स्थापना की गई है।

11. एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत को अनुपात में साझा किया जाता है।

अनुलग्नक-II

योजना के तहत सत्यापित लाभार्थियों /बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सत्यापित लाभार्थियों की संख्या/बनाए गए आयुष्मान कार्ड
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40,616
आंध्र प्रदेश	11,709,939
अरुणाचल प्रदेश	82,607
असम	7,502,411
बिहार	7,768,696
चंडीगढ़	141,662
छत्तीसगढ़	17,041,356
दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	430,863
गोवा	27,076
गुजरात	17,743,275
हरियाणा	8,137,302
हिमाचल प्रदेश	1,131,516
जम्मू और कश्मीर	8,142,855
झारखंड	10,582,316
कर्नाटक	13,697,728
केरल	7,146,371
लद्दाख	130,420
लक्षद्वीप	26,031
मध्य प्रदेश	35,534,316
महाराष्ट्र	9,161,278
मणिपुर	482,457
मेघालय	1,779,340
मिजोरम	434,506
नागालैंड	435,497
पुद्दुचेरी	409,804
पंजाब	7,990,610
राजस्थान	10,091,251
सिक्किम	52,614
तमिलनाडु	18,550,814
तेलंगाना	4,198,258
त्रिपुरा	1,313,815
उत्तर प्रदेश	26,156,403
उत्तराखंड	5,017,750

नोट: उपरोक्त सूची में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या शामिल नहीं है क्योंकि वे एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं।

अनुलग्नक-III

एबी-पीएमजेएवाई के तहत जारी की गई निधियों के केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2.59
आंध्र प्रदेश	1527.52
अरुणाचल प्रदेश	4.75
असम	446.45
बिहार	346.29
चंडीगढ़	15.24
छत्तीसगढ़	1029.36
दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	18.26
गोवा	2.32
गुजरात	1380.37
हरियाणा	390.87
हिमाचल प्रदेश	133.13
जम्मू और कश्मीर	212.52
झारखंड	404.97
कर्नाटक	1638.88
केरल	558.4
लद्दाख	4.05
लक्षद्वीप	0.46
मध्य प्रदेश	1376.81
महाराष्ट्र	1597.63
मणिपुर	91.21
मेघालय	139.3
मिजोरम	85.68
नागालैंड	62.18
पुदुचेरी	10.84
पंजाब	261.83
राजस्थान	923.61
सिक्किम	6.31
तमिलनाडु	1694.37
तेलंगाना	236.45
त्रिपुरा	122.7
उत्तर प्रदेश	946.87
उत्तराखंड	191.27

नोट: उपरोक्त सूची में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या शामिल नहीं है क्योंकि वे एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं।

****